~ ~

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 48/2026 अन्तर्गत धारा 88, 92 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
पार्वती पत्नी तेजदान जाति चारण, निवासी ओलेचा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव फौरमल पक्षकार 2 अंतरोकंवर पत्नी राणीदान 3 इन्दरदान पुत्र जुगतदान 4 कुम्पदान पुत्र सैंभूदान 5 कुशलदान पुत्र बांकदान 6 कानदान पुत्र सैंभूदान 7 गंगादान पुत्र जुगतदान 8 गुडीदेवी पत्नी रूपदान 9 गोरधनदान पुत्र बांकदान 10 चुतरदान पुत्र जुगतदान 11 जड़ाकंवर पत्नी भगवानदान 12 जेठूदान पुत्र डूंगरदान 13 जीवणदान पुत्र जवारदान 14 तेजदान पुत्र मुरारदान 15 तेजदान पुत्र जवारदान 16 तिलोकदान पुत्र सैंभूदान 17 देवीदान चारण पुत्र सैंभूदान 18 दीपदान पुत्र जुगतदान 19 दीपदान पुत्र डूंगरदान 20 नेनदान पुत्र जुगतदान 21 पुनमदान पुत्र जवारदान 22 प्रेमकंवर पत्नी नैनदान 23 पैलाददान पुत्र डूंगरदान 24 भगवानदान पुत्र जवारदान 25 मेलूदान पुत्र डूंगरदान 26 रूपदान पुत्र जवारदान 27 राणीदान पुत्र जवारदान 28 लखदान पुत्र जुगतदान 29 वीरदान पुत्र जुगतदान 30 शांतिकंवर पत्नी जीवणदान 31 हुकमदान पुत्र जुगतदान 32 हुकमदान पुत्र मुरारदान 33 हवाकंवर पत्नी वीरदान 34 हाथीदान पुत्र जुगतदान जाति चारण निवासी ओलेचा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 35 शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई शाखा भींयाड़ 36 शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीनी – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 15.05.2026

संक्षेप में वादीनी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 34 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा ओलेचा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1, 38 रकबा क्रमशः 57.4896, 129.1755 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीनी को उनके पति तेजदान के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी का विरासती नामांतरकरण वादीनी के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भरवाया गया, जिसमें वादीनी का गलत घरेलु व आम बोलचाल का नाम पूरीदेवी पत्नी तेजदान का अंकन करवा दिया गया जबकि वादीनी का सही एवं वास्तविक नाम पार्वती पत्नी तेजदान है। वर्तमान में वादीनी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादीनी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, राशन कार्ड आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम पार्वती पत्नी तेजदान दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादीनी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने की अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम पूरीदेवी पत्नी तेजदान के स्थान पर सही नाम पार्वती पत्नी तेजदान घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादीनी

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा उपस्थित होकर साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किया गया। दौरान बहस अधिवक्ता वादीनी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी का नाम पूरीदेवी पत्नी तेजदान के स्थान पर सही नाम पार्वती पत्नी तेजदान होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादीनी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम पूरीदेवी पत्नी तेजदान दर्ज है, जबकि वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक डायरी आदि में वादीनी का नाम पार्वती पत्नी तेजदान दर्ज है। वादीनी द्वारा अपने नाम दुरस्ती के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया है। वादीनी अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम पूरीदेवी पत्नी तेजदान के स्थान पर सही नाम पार्वती पत्नी तेजदान दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ओलेचा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1, 38 रकबा क्रमशः 57.4896, 129.1755 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी का नाम पूरीदेवी पत्नी तेजदान के स्थान पर सही नाम पार्वती पत्नी तेजदान होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner